भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 213
दिनांक 06 अगस्त, 2024 / 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अनुच्छेद 370 का निरसन

***213. श्री विवेक ठाकुरः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोगों जैसे समाज के कई वर्ग अनुच्छेद 370 के निरसन से पूर्व अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहे; और
(ख) यदि हां, तो अनुच्छेद 370 का निरसन करने के उपरांत समाज के उक्त वर्गों को क्या लाभ प्रदान किए गए ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"अनुच्छेद 370 का निरसन" के संबंध में दिनांक 06.08.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *213 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): अनुच्छेद 370 के निरसन से पहले, वर्ष 1947 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब से आए पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) और उनके वंशजों एवं जम्मू और कश्मीर के समाज के कतिपय वर्गों को जम्मू और कश्मीर के गैर-स्थायी निवासी माना जाता था और उन्हें भारत के संविधान में निहित पूर्ण अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप, उनके पास संपत्ति के स्वामित्व, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले रोजगार तथा जम्मू और कश्मीर की विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं था। तथापि, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों को जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाता था।

(ख): अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद, जम्मू और कश्मीर के अन्य तत्कालीन गैर-स्थायी निवासियों जैसे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मिकी समुदाय और सफाई-कर्मचारियों को उनकी पात्रता के आधार पर अब भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार उपलब्ध हैं, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व, संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन रोजगार एवं जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में वोट देने का अधिकार शामिल है।

*****